श्रमायुक्त–सह–समझौता पदाधिकारी, बिहार, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–09.10.2026 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक (चीनी मिलों से संबंधित) की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

प्रबंधन पक्ष

1.	Shri Navesh Bhatt	–	Secretary, Bihar Sugar Mills Association, 301, Saroj Complex, North SK Puri, Road No-5D, Patna-800013, Mob-9934011251, Email-bsma.patna@gmail.com
2.	K.P. Singh	–	Executive Director, Harinagar Sugar Mills, Harinagar, West Champaran, Bihar, Mob-9955996203, Email-harinagarsugar@gmail.com
3.	A.P. Singh	–	Ganeral Manager, M/S Vishnu Sugar Mills Ltd, Gopalganj, Email-vishnusugar@gmail.com
4	Shri Sumit Kumar Mishra	–	HR Manager, M/S Riga Sugar Co. Limited, Riga, Sitamarhi, Email-riga.HR@nirani.groups.com
5	Shri Sudhir Kumar Pandey	–	SR. Manager (Pro & Lia.), M/S Riga Sugar Co. Limited, (Unit of Nirani Sugar Ltd), Riga, Sitamarhi-843327, Mob-9264469701, Email-sudhirpandey.rigasugar@gmail.com
6	Shri Dinesh Tiwari	–	HR Head, M/S Bharat Sugar Mill Ltd (MSEL) Unit-Sidhwalia Gopalganj, Mob-9359438154), Email-bsm.hr@birla-sugar.com
7	Deependra Singh	–	AGM (HR), Magadh Sugar & Energy Ltd, Unit-Hasanpur Sugar Mills (MSEL), Hasanpur Road, Samastipur, Mob-9719032740, Email-hasanpur@birla-sugar.com
8	Shri Harish Singh	–	AGM (HR), Majhaulia Sugar Industries West Champaran, Bihar, Mob-9452670061, Email-hr@jayshreesugar.in
9	Shri Dinesh Kumar Sinha	–	Asst. Manager (HR), Magadh Sugar & Energy Ltd. Unit Hasanpur Sugar Mills, Po-Hasanpur Sugar Mills, Dist-Samastipur, Bihar, Email-Hasanpur@birla-sugar.com

Scanned with OKEN Scanner

कामगार पक्ष

1.	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह,	–	अध्यक्ष, बिहार सुगर वर्कर्स फेडरेशन (इंटक), श्रमिक केन्द्र सदाकत आश्रम, कुर्जी, पटना–800010, Mob-9431016951, Email-chandraprakash.intuc@gmail.com
2.	श्री नौशाद आलम,	–	अध्यक्ष, हरिनगर सुगर मिल, हरिनगर कांग्रेस चीनी मजदूर संघ, हरिनगर, प० चम्पारण, बिहार, Mob-9507286094
3.	श्री अर्जुन मिश्रा	–	महामंत्री हरिनगर सुगर मिल, हरिनगर कांग्रेस चीनी मजदूर संघ, हरिनगर, प० चम्पारण, बिहार, Mob-9576235499
4	श्री रवि रंजन मिश्रा	–	महामंत्री, हरिनगर कांग्रेस केन फार्म मजदूर संघ, हरिनगर–845103, Mob-9102407719
5	श्री रविन्द्र कुमार सिंह,	–	महामंत्री मझौलिया सुगर मिल मझौलिया पश्चिमी चम्पारण, मझौलिया लेबर यूनियन, इंटक कांग्रेस मझौलिया, प०–चम्पारण, मो०नं०–7491893863
6	श्री माधो सिंह	–	महामंत्री भारत सुगर मिल, सिधवलिया, गोपालगंज, हिन्द मजदूर महासभा, भारत सुगर मिल, सिधवलिया, मो०–9006860790, Email-madho12355@gmail.com
7	श्री संजय सिंह	–	अध्यक्ष भारत सुगर मिल सिधवलिया, हिन्द मजदूर सभा वावर रोड–101, नई दिल्ली, Email-sanjays.sing782@gmail.com
8	श्री सत्यनारायण सिंह,	–	महामंत्री दी भारत सुगर मिल मजदूर संघ, पो०–सिधवलिया, जिला–गोपालगंज
9	श्री शिवशंकर यादव,	–	महामंत्री, हसनपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन, हसनपुर, समस्तीपुर हसनपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन (इंटक), पो०–हसनपुर, सुगर मिल, जिला–समस्तीपुर, बिहार
10	श्री ताहिर हुसैन,	–	Ex.parshad महामंत्री, गोपालगंज सुगर लेबर यूनियन, इंटक, पता–दरगाह, वार्ड नं०–25, पो०+जिला–गोपालगंज, पिन–841428, मो०नं०–9431088540, Email-tahirhussain1968786@gmail.com
11	श्री नन्दकिशोर राउत	–	उप सचिव, मोतिहारी, चीनी मिल लेबर यूनियन, मोतिहारी, मो०–8757797385
12	परमानन्द ठाकुर,	–	महामंत्री, मोतिहारी सुगर लेबर यूनियन, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, मो०–9576644623
13	श्री अघनु यादव	–	सर्वोदय किसान मजदूर सभा, बिहार, कैम्प+कार्यालय–कनकपुर, पो०–नरपतिनगर, जिला–मधुबनी, बिहार, Mob-9431658750, Email-hmsbihar11@rediffmail.com

सरकार पक्ष

1.	श्री राजेश भारती	–	श्रमायुक्त, बिहार
2.	श्री राजेश कुमार	–	संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार
3.	श्री गणेश कुमार झा	–	उप श्रमायुक्त–सह–उप निबंधक, श्रमिक संघ, बिहार
4.	श्री वेदव्रत कुमार	–	संयुक्त ईखायुक्त, R.No.-207, विकास भवन, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, Mob-9471007242, Email-vedawrata@gmail.com
5.	श्री पुष्कर राज	–	Cane Officer, Darbhanga, Mob-8271091664, Email-caneofficerdarbhanga@gmail.com
6.	श्री सौरभ सिन्हा	–	Cane Officer, Muzaffarpur, Mob-8709093958, Email-saurabher4@gmailcom

Scanned with OKEN Scanner

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का श्रमायुक्त द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् श्रमायुक्त की अनुमति से श्री गणेश कुमार झा, उप श्रमायुक्त–सह–उप निबंधक, श्रमिक संघ द्वारा दिनांक–18.11.2024 को सम्पन्न त्रिदलीय स्थायी समिति (चीनी) की बैठक में लिए गए निर्णय तथा उसके अनुपालन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक की कार्यावली के अनुसार नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की स्थिति, स्थायी आदेश (Standing Orders), फिक्स्ड टर्म कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन, वेतन पुनरीक्षण का लंबित मामला संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

उपस्थित सुगर मिल के प्रबंधन पक्ष की ओर से रीगा चीनी मिल एवं सासामुसा चीनी मिल द्वारा कर्मचारियों के देय एरियर के भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के आलोक में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि उस अवधि में दोनों चीनी मिल बन्द थें।

i) बन्द चीनी मिलों के संबंध में यूनियन द्वारा मोतिहारी चीनी मिल के बिना सूचना बन्द कर दिये जाने तथा कामगारों के बकाया वेतन भुगतान संबंधित मामला उठाया गया। प्रबंधन पक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि यह चीनी मिल पिछले कई सालों से (वित्त वर्ष 2013 से) बंद और निष्क्रिय पड़ी है। कंपनी सितंबर 2024 से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत है।

श्रमायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि किसी विशेष चीनी मिल से संबंधित मामले के लिए अलग से समय निर्धारित करके चर्चा की जायेगी।

(अनुपालन–वरीय प्रभारी, प्रशाखा–03)

ii) उप निबंधक, श्रमिक संघ द्वारा नई श्रम संहिताओं के मुख्य बिन्दुओं के संबंध में बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया, जो निम्न प्रकार है :–

- प्रबंधन द्वारा सभी कामगारों को नई श्रम संहिता के लागू होने के 90 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र तथा पहचान पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- कामगारों को प्रत्येक महीने का वेतन अगले महीने की 7 तारीख से पहले उनके खाते में Electronic माध्यम से जमा करना जरूरी है। दैनिक मजदूरों को शिफ्ट के अंत में और साप्ताहिक मजदूरों को सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस पर भुगतान किया जाना है।
- नये कोड में Wage Board का Concept नहीं है तथा **न्यूनतम मजदूरी** जो पहले कुछ चुनिन्दा रोजगारों में लागू होती थी, अब इसे सभी क्षेत्रों (संगठित और असंगठित) के प्रति कर्मचारी और मजदूर के लिये वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। यदि कोई नियोक्ता तय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करता है तो उसके लिये भारी जुर्माने का प्रावधान है।
- फिक्स्ड–टर्म एम्प्लॉयमेंट (Fixed & Term Employment) के संबंध में बताया गया कि के काम के घंटे, वेतन और अन्य भत्ते पूरी तरह से स्थायी कर्मचारियों के समान होंगे।
- नयी संहिता में वार्ताकार यूनियन (Negotiating Union), सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) तथा वार्ता परिषद (Negotiating Council) संबंधी प्रावधान है।

Scanned with OKEN Scanner

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) में स्थायी आदेशों (Standing Orders) के संबंध में अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा जारी किए गए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स (Model Standing Orders) को यदि यथावत् अपनाते है, तो इसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें संशोधन किया जाता है, तो प्रमाणीकरण पदाधिकारी से प्रमाणिकृत कराये जाने संबंधी प्रावधान हैं। नयी संहिता के अनुसार अब केवल उन्हीं औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Establishments) के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाना अनिवार्य है, जहाँ पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 300 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हो, पहले यह सीमा केवल 100 कर्मचारियों की थी।

iii) **श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष (इंटक)** द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य में 10 चीनी मिल कार्यरत है। उनके द्वारा सभी चीनी मिलों के प्रबंधन की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों को Standing Order का एक Model बना लेने हेतु तथा यदि इसमें किसी Modification की आवश्यकता हो तो सभी यूनियन की सहमति से इसे Modify करते हुए प्रमाणीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रमाणिकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया।

इस संबंध में श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि चूंकि राज्य में नया कोड प्रभावी है, इसलिए यदि प्रबंधन को इस विषय में किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो विभाग प्रशिक्षण देने हेतु तैयार है। श्रमायुक्त द्वारा नयी श्रम संहिताओं के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करने तथा संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रबंधन पक्ष द्वारा विभाग से तिथि सूचित करने का अनुरोध किया गया

(अनुपालन–सभी प्रबंधन पक्ष एवं प्रशाखा–03)

iv) **श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष (इंटक)** द्वारा काफी दिनों से Wage Revision रूके होने के संबंध में भी अवगत कराया गया।

श्रमायुक्त द्वारा इस संबंध में प्रबंधन पक्ष को निदेशित किया गया कि Wage Revision के संबंध में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित कर Wage बढ़ोतरी पर आम सहमति बनाते हुए LTA किया जा सकता है।

प्रबंधन पक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि ज्यादातर चीनी मिलें गन्ने की कमी की समस्या से जूझ रही है। इसके अलावे कम उत्पादकता एवं अधिक उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए Wage Revision पर विचार किया जाना चाहिए।

(अनुपालन–सभी प्रबंधन पक्ष)

v) श्रमायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक चीनी मिल में शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु Grievance Redressal Committee बनी होनी चाहिए ताकि नियोक्ताओं एवं श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित कर श्रम संबंधी समस्याओं के समाधान वहीं पे निकाला जा सके। इसमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत का निवारण नहीं होने पर शिकायतकर्त्ता श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग में संपर्क स्थापित कर सकते है।

(अनुपालन–सभी प्रबंधन पक्ष)

Scanned with OKEN Scanner

vi) त्रिपक्षीय विचार–विमर्श हेतु बैठक नियमित अंतराल पर हो यह सुनिश्चित किये जाने हेतु श्रमायुक्त द्वारा निदेशित किया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि 3 माह के अन्दर पुनः एक बैठक आयोजित की जाए।

(अनुपालन–वरीय प्रभारी, प्रशाखा–03)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

14/10/26
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6290 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिनिधि– प्रबंधन पक्ष/कामगार पक्ष के सभी प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6290 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– ईखायुक्त, बिहार के उपस्थित प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6290 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6290 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner